GCMS-2023/143

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
उनवानी विक्रम सिंह बनाम भूमिधारी मु.सं. 920/2023

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

17-03-2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अं.धा. 136 एलआर एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के पिता "औंकार, सांवतराम, बुद्वराम पुत्रगण मांगू" की जगह गलत नाम "औंकार, सांवतराम, बुद्वराम पुत्रगण भागू" दर्ज हैं जबकि प्रार्थीगण के दादा का नाम "भागू" की जगह "मांगू" सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा प्रार्थीगण के पिता का आधार कार्ड, पहचान पत्र, नामान्तरण संख्या 382 दिनांक 07.05.1990 एवं प्रार्थीगण के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र से होती हैं। तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट में भी "औंकार, सांवतराम, बुद्वराम पुत्रगण भागू" की जगह "औंकार, सांवतराम, बुद्वराम पुत्रगण मांगू" शुद्ध किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 भू.रा.अधि. स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि:—

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम राणासर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 601 रकबा 1.00 है0 में प्रार्थीगण के पिता का गलत दर्ज नाम "औंकार, सांवतराम, बुद्वराम पुत्रगण भागू" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "औंकार, सांवतराम, बुद्वराम पुत्रगण मांगू" दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer S Yadav
Date: 2025.05.07 12:37:35
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)